FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

करणा वगै0 बनाम भूमिधारी पाटन

मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 मु0नं0 84 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.04.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
15/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्थ होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 28/5/24 को पेश हो।	
28/5/24 वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 LR Act 1956 स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से बाद होकर दफ्तर दाखिल हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी–राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या– 84 / 2024

1. करणा पुत्र मंगला उम्र 37 साल
2. कैलाश पुत्र परसा उम्र 30 साल
3. किशनलाल पुत्र अर्जुन उम्र 45 साल
4. गंगा पत्नी सूवा उम्र 72 साल
5. झाबरमल पुत्र परसा उम्र 58 साल
6. सुशीला पत्नी नारायण उम्र 40 साल
7. कुलदीप पुत्र नारायण उम्र 21 साल
8. दलिप पुत्र नारायण उम्र 19 साल
9. बंशी पुत्र सूवा उम्र 45 साल
10. बीरबल पुत्र परसा उम्र 48 साल
11. तीजा पत्नी भागीरथ उम्र 65 साल
12. मुक्तिलाल पुत्र भागीरथ उम्र 35 साल
13. विनोद पुत्र भागीरथ उम्र 42 साल
14. पूरण पुत्र भागीरथ उम्र 30 साल
15. मदन पुत्र सुवा उम्र 59 साल
16. रामनिवास पुत्र परसा उम्र 38 साल
17. रामवीर पुत्र अर्जुन उम्र 40 साल
18. रामोतार पुत्र अर्जून उम्र 35 साल
19. लिल्लू पुत्र सूवा उम्र 40 साल
20. बलदेव पुत्र परसा उम्र 40 साल
21. समस्त जाति बलाई निवासीगण भगेगा तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला नीमकाथाना।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 15:08:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः– श्री प्रहलाद यादव एडवोकेट –प्रार्थीगण

निर्णय

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

(2)

दिनांक 28.5.2024

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भगेगा के भूमि ख.नं 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261 कुल किता 8 कुल रकबा 5.10 हे की खातेदारी प्राथीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्राथीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया गया । सीमाज्ञान होने के पश्चात् सीमाओं के चारों तरफ पत्थरगढी के रूप में बिन्दुओं पर स्थई तोर पर पत्थर गढी कर पीलर लगवाने का गिरदावर एवं पटवारी हल्का को आदेशित किया जाना आवश्यक है। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने हेतु आदेश फरमाया जावे ।

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार नीमकाथाना बाद तामील अनुपस्थित रहे है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करने का निवेदन किया ।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया है । पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । विवादित भूमि का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली में शामिल है। सीमा विवाद निपटाने एवं कृषक द्वारा फसल की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। न्यायहित में पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि आप सींव जोड़ खातेदारान एवं पक्षकारान को जरिए नोटिस सूचित कर एवं विधिवत तामील करा कर ग्राम भगेगा के विवादित भूमि ख.नं 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261 कुल किता 8 कुल रकबा 5.10 हे. की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2023 के अनुसार करावें । इसी अनुसार तहरीर जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner